Sixteenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding the use of fifty percent amount for Hindi language for advertisements.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान)

महोदया, मैंने अपने शून्यकाल के विषय में परिवर्तन का अनुरोध किया था।...(व्यवधान)

महोदया, देश की आजादी के पश्चात् 14 सितम्बर, 1949 को अपने देश में हिन्दी को राजभाषा के तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई थी।...(व्यवधान) हिन्दी को स्वाभाविक तौर पर देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा के कारण यह स्वीकृति प्राप्त हुई थी।...(व्यवधान) हमारे देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में ज्यादातर नेताओं ने भी हिन्दी को सम्पर्क की भाषा के रूप में प्रयोग किया था।...(व्यवधान) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों से आने वाले गाँधी जी, सुभाष बाबू आदि सभी लोगों ने हिन्दी का प्रयोग किया था।...(व्यवधान) अनुमान था कि हिन्दी अतिशीघ्र राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी, परन्तु अनुमान के विपरीत राजभाषा अधिनियम बनने और उसके बाद संसदीय समिति के निर्माण के बाद भी यह संभव नहीं हो सका।...(व्यवधान)

महोदया, प्रतिवर्ष गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा का एक वार्षिक कार्यक्रम दिया जाता है।...(व्यवधान) इसमें विज्ञापन के लिए एक स्पष्ट नियम बनाया गया है कि किसी भी केन्द्रीय संस्थान द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों में कुल धनराशि का 50 प्रतिशत हिन्दी के विज्ञापनों पर खर्च किया जाना आवश्यक है।...(व्यवधान)

महोदया, इस नियम का पालन नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय संस्थानों द्वारा दिए जा रहे विज्ञापनों की कम से कम 50 प्रतिशत राशि हिन्दी के विज्ञापनों व शेष राशि क्षेत्रीय भाषा के विज्ञापनों पर खर्च की जाए।...(व्यवधान) बहुत आवश्यक हो तभी विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में दिये जाने के निर्देश पारित करके अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गोपाल शेट्टी और श्री अनिल शिरोले को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।